

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  मन्मालाल  उनवान सक्कर बनाम ... श्री. र. द. श्री. ....  251(क) RTA</p>	<p>नंबर ...  अहवाल  हुकम को  में जारी ...</p>
<p>5.7.21</p>	<p>मुकदमा नं० ..... 18/2021 निर्णय दि० ..... 5.7.21</p> <p>पत्रावली पेश। नोटिस तामील होकर प्राप्त। नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर अधीन गण के विरुद्ध एक्टरका कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अगव स्टेट प्राप्त। कलस परिभा-पत्र सुनी गयी।</p> <p>पार्सी मन्मालाल पुत्र हुंकरा के गाँव कलाखो के खाला से. 183/174 की आराजी में पहुंच मार्ग हेतु ग्राम कलाखो के खाला से. 206/198 के खालेदारी के विरुद्ध 251(क) RTA का परिभा पत्र पेश किया। अगव स्टेट अनुसार अधीन गण के खाला से. 206 के ख. नं. 105 के रकबा . 56 है. में से 3X96 = 288 म<sup>2</sup> रास्ते हेतु प्लावित किया। पार्सी की खालेदारी भूमि हेतु तैकालिक स्वीकृत मार्ग नहीं है। उपतहसीलदार कहरावडा द्वारा भोला पल्लव शोर्टकट मार्ग का है। अतः मुताबिक अगव स्टेट ग्राम कलाखो के खाला से. 206 के ख. नं. 105 के रकबा . 56 है. में से 3X96 = 288 म<sup>2</sup> रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपतहसीलदार पार्सी द्वारा DLG राशि की दो गुणा राशि ( 288 म<sup>2</sup> की ) जमा करवाने पर राजल्ल रिफाई में अमल दरमाद से तथा प्राप्त राशि का अधीन गण के खालेदारी से. पता कर, सख्वांघेत के Account में जमा करावे।</p> <p>निर्णय आया है. 5.7.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(*[Signature]*)  
(खालेदारी)  
5.7.21